देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
राष्ट्रीय सेवा योजना
0731–2523770 **email Id :- consdavv@gmail.com**

क्रमांक / रासेयो / कार्या. / 2019–20 / 130 दिनांक :– 22 / 07 / 2019

प्रति,

प्राचार्य / निदेशक
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध
समस्त अशासकीय महाविद्यालय

विषय :– सत्र 2019–20 में आपके महाविद्यालय में शासन द्वारा पोषित इकाई के सम्बंध में।
संदर्भ :– कुल सचिव देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर के पत्र कमांक एन.एस.एस. / 81, दिनांक 06.06.2019।

महोदय,

संदर्भित पत्र आपको प्रेषित किया जा चुका है, पत्र के परिपालन में यदि आपकी संस्था में सत्र 2019–20 में छात्र / छात्राओं की कुल संख्या 200 से अधिक है तो आपको संस्था में प्रवेशित सभी छात्र / छात्राओं से नियमानुसार राशि 120 / – रू. प्रतिवर्ष फीस लेकर रा.से.यो. प्रकोष्ठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में जमा करना है तथा प्रत्येक 400 छात्र / छात्राओं की संख्या पर 01 स्वपोषित इकाई प्रारम्भ करना है। (उदाहरण :– यदि आपकी संस्था में कुल छात्र संख्या 1200 है तो आपको 03 रा.से.यो. स्वपोषित इकाईयाँ प्रारम्भ करनी होगी।)

यदि आप इन स्वपोषित इकाईयों के अतिरिक्त शासन द्वारा पोषित इकाई भी संचालित करना चाहते है तो पोषित इकाई हेतु कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. को इस हेतु आवेदन दिनांक 31 / 07 / 2019 तक अनिवार्यः प्रेषित करें तथा consdavv@gmail.com पर ई–मेल करें तथा आवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित करे कि संस्था शासन के नियमानुसार स्वपोषित इकाईयों के अतिरिक्त पोषित इकाई का भी संचालन करना चाहती है।

यदि आपकी संस्था में छात्र / छात्राओं की संख्या 100 से 200 के मध्य है तब भी आप पोषित इकाई हेतु आवेदन कर सकते है। पोषित इकाई के आवेदन के अभाव में पूर्व में आपकी संस्था में संचालित पोषित इकाई सत्र 2019–20 में बन्द कर दी जावेगी।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

(डॉ. प्रकाश गढ़वाल)
कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,
देवी अहिल्या वि. वि. इन्दौर

प्रतिलिपि :–

(1) राज्य एन.एस.एस. अधिकारी, मप्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(2) क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्य एवम् खेल मंत्रालय, रासेयो भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(3) निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
(4) निज सचिव मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
(5) निज सहायक कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यायल, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
(6) विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर इन्दौर की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,
देवी अहिल्या वि. वि. इन्दौर

समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांकः / NSS / 81 दिनांकः–06 / 06 / 2019

प्रति,

प्राचार्य / निदेशक
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध
समस्त अशासकीय महाविद्यालय

विषय :– महाविद्यालयों में रा.से.यो. स्वपोषित इकाई के गठन के सम्बंध में।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आपको विदित है सत्र 2014–2015 से शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता / निरन्तरता के लिए अशासकीय महाविद्यालयों में जिनमें छात्र संख्या 200 से अधिक है में रा.से.यो. की स्वपोषित इकाई का गठन अनिवार्य हैं इसके लिए महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र / छात्राओं से 10 रू. प्रतिमाह फीस लेनी है तथा छात्र / छात्राओं से एकत्रित समस्त फीस रा.से.यो. प्रकोष्ठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जमा करनी है। फीस कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. को देय ड्राफ्ट / चेक या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता कमांक 34026666661 IFSC – SBIN0030127 में NEFT से कर सकते है।

जिन संस्थाओं में कुल छात्र संख्या 200 से कम है वो शासन द्वारा पोषित रा.से.यो. इकाई के गठन हेतु दिनांक 30 / 05 / 2019 तक कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को आवेदन करें।

स्वपोषित इकाई के संचालन के सामान्य नियम निम्नानुसार है :–

(1) जिन महाविद्यालयों में 200 से 400 तक की छात्र संख्या है, उन्हे एक रा.से.यो. स्पोषित इकाई का गठन करना है। तदउपरान्त 400 से अधिक संख्या पर प्रत्येक 400 छात्र संख्या पर एक इकाई का गठन करना है। उदाहरण के तौर पर किसी संस्था में अध्ययनरत कुल छात्र संख्या 1100 है तो वहाँ पर रा.से.यो. की 03 इकाईयाँ गठन होगी तथा प्रत्येक इकाई के लिए एक प्रभारी शिक्षक जसका पद "कार्यक्रम अधिकारी" होगा, नियुक्त करना होगा।

(2) 400 छात्र संख्या वाली संस्था में 120x400=रू. 48000 / – रा.से.यो. प्रकोष्ठ में जमा करने होंगे तथा रू. 48000 / – में से रू. 22500 / – 07 दिवसीय शिविर हेतु रू. 8650 / – नियमित गतिविधि हेतु तथा रू. 500 / – प्रतिमाह (अधिकतम रू. 6000 / – प्रतिवर्ष) कार्यक्रम अधिकारी के मानदेय हेतु विश्वविद्यालय रा.से. यो. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किया जावेगा। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा राशि 22500 / – + 8650 / – 6000 / – = कुल राशि 37150 / – पुनः संस्थाओं को प्रदान की जावेगी।

(3) राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों का सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है अतः रा.से.यो. गतिविधियों पर आपके द्वारा खर्च की गई राशि का सम्पूर्ण हिसाब 28 मार्च से पूर्व रा.से.यो. प्रकोष्ठ में जमा कराना होता है। विश्वविद्यालय के अंकेक्षण विभाग द्वारा ऑडिट होने पर समायोजन पत्रक प्रदान किया जाता है। यदि संस्था द्वारा आवंटित राशि से कम खर्च किया गया है तो शेष राशि विश्वविद्यालय को लौटानी होती है।

(4) **आवंटित राशि रू. 37150 / – को खर्च करने के शासन के नियम :–**

(A) 07 दिवसीय आवासीय विशेष शिविर के लिए प्रति इकाई अधिकतम रू. 22500 / – (रू. 450 / – प्रति छात्र की दर से अधिकतम 50 छात्र / छात्राओं / शिक्षकों के लिए) खर्च कर सकते है। छात्र संख्या 50 से कम होने पर छात्र संख्याX450 / – का खर्च मान्य होगा। व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी छात्र / छात्राओं की हस्ताक्षर युक्त सूची लगानी होती है।

(B) **नियमित गतिविधियों पर रू. 8650 / – निम्नानुसार खर्च किये जाऐंगे :–**

(i) प्रति छात्र रू. 10/— का स्वअल्पहार एक गतिविधि पर अधिकतम रू. 1000/— तथा वर्ष भर में रू. 5000/— खर्च कर सकते है।

(ii) 02 एक दिवसीय शिविर 50—50 छात्र संख्या के जिस पर प्रति शिविर 1000/— (प्रति छात्र रू. 20/— 50/— छात्र/छात्राओं के लिए) खर्च किये जा सकते है। व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी छात्र/छात्राओं की हस्ताक्षर युक्त सूची लगानी होती है।

(iii) शेष रू. 1650/— में आफिस क्लर्क का मानदेय रू. 500/— फोटोग्राफ/स्टेशनरी+अन्य आकस्मिक पर रू. 850/— तथा स्टोर सामग्री के लिए रू. 300/— आवंटित किये गये है।

(C) वर्ष भर में कम से कम 150 घण्टे की नियमित गतिविधियॉं तथा 07 दिवसीय शिविर के आयोजन करने तथा समस्त लेखों का तथा कार्यक्रमों का प्रतिवेदन समय पर विश्वविद्यालय रा.से.यो. प्रकोष्ठ में जमा करने पर रू. 500/— प्रतिमाह कुल रू. 6000/— प्रति वर्ष कार्यक्रम अधिकारी को जेब खर्च भत्ता रा.से.यो. कार्यक्रम अधिकारी को प्रदान किया जावेगा।

5. पूर्व के वर्षो में यदि आपकी संस्था द्वारा संस्था की कुल **छात्र संख्या X रू. 120/—** विश्वविद्यालय के रा.से.यो. प्रकोष्ठ में जमा नही किये हो तो तत्काल कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को देय ड्राफ्ट/चेक से जमा करावे।

6. नवीन सत्र 2019—20 के लिए संस्था द्वारा रा.से.यो. फीस 15 सितम्बर 2019 तक अनिवार्यतः (रू. 120/— x संस्था की कुल छात्र संख्या) आवेदन पत्र के साथ जमा करना है। रा.से.यो. स्वपोषित इकाई के गठन के लिए आवेदन पत्र संलग्न है।

7. 400 से अधिक छात्र संख्या होने पर प्रत्येक 400 संख्या पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

8. रा.से.यो. से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए www.dauniv.ac.in/NSS पर Visit करें या डॉ. प्रकाश गढ़वाल कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. से मो. 8602695352 पर सम्पर्क करें।

संलग्न :— स्वपोषित इकाई के लिए आवेदन पत्र प्रारूप।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :—(1) राज्य एन.एस.एस. अधिकारी, रासेयो म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(2) क्षेत्रीय निदेशक युवा एवम् कार्यक्रम खेल मंत्रालय, रासेयो भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(3) निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ तथा सम्बद्धता/नवीनीकरण करते समय आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें पूर्व के वर्षो में भी इस बाबत आपसे निवेदन किया जा चुका है।

(4) निज सचिव, मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

(5) निज सहायक, कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

(6) विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर इन्दौर की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

कार्यक्रम समन्वयक रासेयो
देवी अहिल्या व.वि., इन्दौर

PROFORMA FOR SUBMISSION OF PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT OF SELF FINANCING UNIT (SFU) UNDER NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS)

1	*Name of the Institution/College/School With Phone No./Fax/Email*	
2	*Postal Address of the Institution With Pin code*	
3	*Name of the Principal With Contact No. & Email ID*	
4	*Name of the University/Directorate*	
5	*Total Strength of the Institution/College*	
6	*Total Strength of Students in +2 Level (Applicable to school only)*	
7	*The Year of existence of the Institution*	
8	*Whether Institution is recognized ?*	
9	*Past experience of the Institution in Social work*	
10	*Whether Institution already have Regular NSS Units ?* *If yes, indicate the No. of Unit (s)*	
11	*No. of NSS Units required by the Institution*	
12	*Name of the proposed NSS Programme Officers.* *Contact with E-mail Address*	
13	*Whether the Institution publish Annual Report ? If yes, please attach a copy or current report.*	
14	*Specify whether the Institution earlier had any NSS Unit. If yes, give reasons of discontinuation of the Unit.*	

Signature of Principal